सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/ATY-1710/MP/389/2024-RO-BH**

दिनांक: **20.07.2026**

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-भोपाल,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय,
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dmbhopal@nic.in

पुलिस आयुक्त, भोपाल,
कार्यालय पुलिस आयुक्त,
मालवीय नगर,
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: pc.bhopal@mppolice.gov.in

विषय: दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में दिनांक 16-05-2024 को प्रकाशित खबर "जमीन पर सो रहे क्लीनर को कुचला,चालक डंपर लेकर फरार" के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
पत्रावली संख्या - NCST/ATY-1710/MP/389/2024-RO-BH

दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में प्रकाशित समाचार "जमीन पर सो रहे क्लीनर को कुचला, चालक डंपर लेकर फरार" के संबंध में दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

1. प्रकरण दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में दिनांक 16.05.2024 को प्रकाशित समाचार के आधार पर आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया। प्रकाशित समाचार के अनुसार भोपाल के मिसरोद क्षेत्र स्थित ग्यारह मील बायपास टोल नाके के समीप एक डंपर के पास सो रहे अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवक रोहित उईके को एक अन्य डंपर द्वारा कुचल दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के पश्चात आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। समाचार में उल्लेख किया गया कि घटना समीपस्थ सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी तथा पुलिस द्वारा वाहन एवं चालक की तलाश की जा रही थी।
2. समाचार के अनुसार मृतक रोहित उईके, उम्र लगभग 19 वर्ष, जिला रायसेन का निवासी था तथा डंपर में क्लीनर (हेल्पर) के रूप में कार्यरत था। वह अपने चालक के साथ डंपर की मरम्मत हेतु मिसरोद स्थित मैकेनिक मार्केट आया था तथा रात्रि में वाहन की देखरेख के लिए वहीं रुका हुआ था। इसी दौरान उक्त दुर्घटना घटित हुई।
3. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 27.05.2024 को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल तथा पुलिस आयुक्त, भोपाल को नोटिस जारी किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 06.09.2024 में अवगत कराया गया कि तहसीलदार, कोलार द्वारा की गई जांच में पाया गया कि दिनांक 15.05.2024 को रोहित उईके डंपर में मैकेनिक कार्य करवाने हेतु 11 मील टोल के समीप स्थित मैकेनिक मार्केट में आया था।
4. प्रतिवेदन के अनुसार डंपर की मरम्मत का कार्य पूर्ण न होने के कारण चालक एवं रोहित उईके दोनों वहीं रुके थे। दिनांक 16.05.2024 की प्रातः लगभग 4:00 बजे एक अन्य डंपर द्वारा रोहित उईके को कुचल दिया गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जांच में यह भी बताया गया कि मृतक ग्राम हरई, नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन का निवासी था तथा अविवाहित था।
5. प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि दुर्घटना में सम्मिलित डंपर को पुलिस थाना मिसरोद द्वारा जप्त कर लिया गया था। इस प्रकार प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाला वाहन एवं उससे संबंधित तथ्य ज्ञात हो चुके थे।
6. जिला प्रशासन द्वारा आयोग को यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में "हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना, 2022" प्रभावशील है, जिसके अंतर्गत आर्थिक सहायता केवल उन मामलों में प्रदान की जाती है जिनमें दुर्घटना कारित करने वाला वाहन अज्ञात हो। चूंकि इस प्रकरण में दुर्घटना में सम्मिलित वाहन की पहचान कर उसे जप्त किया जा चुका है, अतः उक्त योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना प्रावधानित नहीं है।
7. सुनवाई के दौरान उपलब्ध प्रतिवेदन एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया। आयोग ने पाया कि घटना में अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवक की मृत्यु हुई है तथा पुलिस द्वारा वाहन

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

जप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है। उपस्थिति प्राधिकारी द्वारा सुनवाई में आयोग को अवगत कराया गया कि दुर्घटना होने के कारण जाति संबंधित भेदभाव तथा अत्याचार नहीं पाया गया, अतः एससी /एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम नहीं लगाया गया था।

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रतिवेदन के परीक्षण के उपरांत आयोग ने निम्न अनुशंसा की –

i. प्रकरण में पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई पायी गई तथा प्रकरण को बंद करने का आदेश दिया गया।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/ATY-1710/MP/389/2024-RO-BH

दिनांक: 16.06.2026

विषय: दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में दिनांक 16-05-2024 को प्रकाशित खबर "जमीन पर सो रहे बलीनर को कुचला,चालक डंपर लेकर फरार" के सम्बंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, जिला-भोपाल, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल-462001, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				

पुलिस आयुक्त, भोपाल, कार्यालय पुलिस आयुक्त,
मालवीय नगर, भोपाल-462001, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	Manju Kratin	Addl Dep.	9958014191	[signature]
2				
3				
4				